रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 22 जुलाई, 2005/31 आषाढ़, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 30 जून, 2005

संख्या टी0पी0टी0ए (3) 2/2002, कम्पोजिट फीस.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 96 और 111(घ) के साथ पठित धारा 211 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश मोटरयान नियम, 1999, जिन्हें इस विभाग की अधिसूचना संख्या 5-14/88-टी0पी0 टी0–III, तारीख 12 जुलाई, 1999 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 27 जुलाई, 1999 को प्रकाशित किया गया था, में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और उन्हें मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप–धारा (1) के अधीन अपेक्षित, जनसाधारण की आम जानकारी के लिए एतद्द्वारा राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है ।

इन नियमों द्वारा संभाव्य प्रभावित कोई व्यक्ति यदि इन नियमों के बारे में कोई आक्षेप(पों) या सुझाव(वों) देना चाहे, तो वह उसे उक्त प्रारुप नियमों के राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रधान सचिव (परिवहन) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002 को भेज सकेगा;

1228-राजपत्र/2005-22-7-2005—1,473. मूल्य : एक रुपया ।

इन नियमों के बारे में उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए आक्षेप(पों) या सुझाव(वों) यदि कोई हो, पर इन प्रारुप नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात् :—

'प्रारुप नियम'

1. संक्षिप्त नाम.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटरयान (प्रथम संशोधन) नियम, 2005 है ।

2. नियम–69क का प्रतिस्थापन.—हिमाचल प्रदेश मोटरयान नियम, 1999 के विद्यमान नियम 69–क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा;

"69–क राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों और अखिल भारतीय अनुज्ञापत्रों के लिए कम्पोजिट फीस.—मालवाहनों (गुड्स कैरिजिज) के बारे में जिनका मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप–धारा (12) के अधीन अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य में चलाना प्राधिकृत है और पर्यटन यानों के बारे में, जिन्हें मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप–धारा (9) के अधीन किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदान अखिल भारतीय अनुज्ञापत्र के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य में चलाना प्राधिकृत है, कम्पोजिट फीस निम्नलिखित दरों पर उद्गृहीत, प्रभारित और राज्य सरकार को संदत्त की जाएगी, अर्थात् :—

(i) माल वाहनों (गुड्स कैरिजिज) जिन्हें मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप-धारा (9) के अधीन राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य में चलाना प्राधिकृत है ।	राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र जारी करते समय अग्रिम में संदत्त, 5000 रुपए एक मुश्त में (बहुधुरी) यानों के सम्बन्ध में (25 प्रतिशत रिबेट) जिसको मान्यता माल वाहनों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र जारी करने की तारीख से एक वर्ष के लिए होगी ।
(ii) पर्यटन यानों, जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उप–धारा (9) के अधीन अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदान अनुज्ञापत्र के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य में चलाने के लिए प्राधिकृत है :—	
(क) चालक को अपवर्जित करके बारह यात्रियों से अधिक को बैठने की क्षमता रखने वाले ।	10,000/- रुपए प्रतिमास तीन फेरों के लिए और 4,000/- रुपए उसी मास में किसी अतिरिक्त फेरे के लिए ।
(ख) चालक को अपवर्जित करके छह यात्रियों से अधिक किन्तु बारह यात्रियोंसे अनाधिक की बैठने की क्षमता रखने वाले ।	6,000 रुपए प्रति त्रैमास 1 या 2,200 रुपए प्रति मास ।
(ग) चालक को अपवर्जित करके छह से अनाधिक यात्रियों की बैठने की क्षमता रखनेवाले ।	600/- रुपए प्रति त्रैमास ।

परन्तु जहां कम्पोजिट फीस की उपर्युक्त रकम, खण्ड (ii) के उप-खण्ड (क), (ख) और (ग) में वर्णित पर्यटन यानों की दशा में वित्तीय वर्ष के 15 मार्च, 15 जुलाई, 15 दिसम्बर और 15 जनवरी को या पश्चात् असंदत्त रहती है तो प्रतिमास या उसके भाग के लिए एक सौ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रभारित की जाएगी ।

परन्तु यह और कि जहां माल वाहनों (गुड्स कैरिजिज) के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र का नवीकरण देय तारीख तक नही किया गया है तो प्रतिमास या उसके भाग के लिए एक सौ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रभारित की जाएगी ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव (परिवहन)।

[*Authoritative English text of Government Notification No. TPT-A*(3)2/2002-*Composite Fee. dated* 30-6-2005 *as required under Clause* (3) *of article* 348 *of the Constitution of India*].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 30*th June*, 2005

No. TPT-A (3) 2/2002-Composite Fee.—In exercise of the powers vested in him under section-211 read with section 96 and 111 (*d*) of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, published in Rajpatra (Extra-Ordinary), Himachal Pradesh, dated the 27th July, 1999, *vide* this department notification No. 5-14/88-TPT-III, dated 12th July, 1999 and the same are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh for the general Information of the public as required under sub-section (1) of Section-212 of the Motor Vehicles Act, 1988 ;

If any person, likely to be affected by these rules has any objection(s) and suggesion(s) to make with respect to these rules, he may send the same to the Principal Secretary (Transport) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2, within a period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in Rajparta, Himachal Pradesh.

Objection(s) or suggestion(s), if any, with respect to these rules, received within the period specified above shall be considered by the Government before finalizing these draft rules, namel :—

DRAFT RULES

1. *Short title.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2005.

2. *Substitution of rule* 69-*A.*—For the existing rule-69-A of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, the following shall be substitiuted, namely:—

"69-*A.*—*Composite fee for National Permits and for All India Permits.*—There shall be levied, charged and paid to the State Government, a composite fee at the following

rates, in respect of goods carriages which are authorized to ply in the State of Himachal Pradesh, under a National Permit granted by an appropriate authority of any other State or Union Territory under sub-section (12) of Section-88 of the Motor Vehicles Act, 1988 and in respect of tourist vehicles which are authorized to ply in the State of Himachal Pradesh under All India Permits granted by any State Transport Authority of other State or Union Territory under sub-section (9) of Section-88 of the Motor Vehicles Act, 1988, namely:—

(*i*) Goods Carriages, which are authorised to ply in the State of Himachal Pradesh, under a National Permit granted by an appropriate authority of any other State or Union Territory under sub-section (12) of Section-88 of the Motor Vehicles Act, 1988.		Rs. 5000/- (25% rebate in respect of multi-axle vehicles) in lump sum to be paid in advance at the time of issue of national Permit, the validity of which shall be one year commencing from the date of issue of the National Permit in respect of goods carriages.
(*ii*) Tourist vehicles which are authorized to ply in the State of Himachal Pradesh under All India Permits granted by any State Transport Authority of other State or Union Territory under sub-section (9) of Section-88 of the Motor Vehicles Act, 1988.	(*a*) having seating capacity to carry more than twelve passengers excluding driver.	Rs. 10,000/- per month for three trips and Rs. 4000/- for any additional trip within the same month.
	(*b*) having seating capacity to carry more than six passengers but not more than twelve passengers excluding driver.	Rs. 6000/- per quarter Rs. 2200/- per month.
	(*c*) having seating capacity to carry not more than six passeners excluding the driver:	Rs. 600/- per quarter.

Provided that where the aforesaid amount of composite fee remains unpaid, on or after 15th March, 15th July, 15th September and 15th January of the financial year in case of tourist vehicles described in sub-clause (*a*), (*b*) and (*c*) of clause (*iii*), there shall be charge an additional sum of rupees one hundred per month or part thereof:

Provided further that where the National Permit in respect of goods carriages is no renewed on due date there shall be charged an additional sum of rupees one hundred per month or part thereof.".

By order,
Sd/-
Principal Secretary (Transport).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित